कार्यालय कलेक्टर,जिला–खरगोन(म.प्र.)

क्रमांक/ 12918 /प्रोटोकाल/17 खरगोन,दिनांक 21 .11.2017

:: निजी ट्रेवल एजेंसियों से दैनिक किराये पर वाहन लिये जाने हेतु निविदा::

जिला खरगोन में राज्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि यथा महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,माननीय प्रधानमंत्री,महामहिम राज्यपाल,माननीय मुख्यमंत्री,मंत्रीगण,वरिष्ठ अधिकारी एवं उच्च सुरक्षा प्राप्त महानुभावों,व्ही.आय.पी./व्ही.व्ही.आय.पी.के जिले में भ्रमण/प्रवास के दौरान उनके स्वागत, अगवानी, प्रोटोकाल, सुरक्षा आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु स्पेयर कार/ वारनर/ पायलेट कार/ एस्कॉर्ट/ रिंग राउण्ड/ इनोवा/ स्कार्पियो/ जाईलो/ टवेरा/ बोलेरो/ हुण्डइ–i.20/ इण्डिका एवं **मध्यम श्रेणी के** वाहन एक वर्ष की अवधी के लिये निजी ट्रेवल कंपनी से दैनिक किराये पर ली जाने हेतु निविदाएं दिनांक 06-12-17 समय 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाना है । प्राप्त निविदाओं को निविदा समिति द्वारा दिनांक 06-12-17 समय 4.00 बजे कलेक्टर कार्यालय,खरगोन के विवेकानन्द सभागृह में उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी ।

वाहन का मॉडल 2015 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। निविदा की शेष शर्ते वेबसाईट **www.Khargone.nic.in** तथा कार्यालय के नोटीस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है।

–: निविदा की शर्ते :–

1. निविदाकार तीन पृथक–पृथक लिफाफों में (1) सुरक्षा निधि का प्रमाण पत्र रखेगा, (2) वांछित तकनीकी शर्तों के अनुसार प्रतियां एवं (3) वित्तीय निविदा सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत करेगें ।
2. निविदाकार / फर्म के नाम पर कम से कम 5 वाहन मध्यप्रदेश के किसी भी परिवहन कार्यालय में पंजीकृत हो । प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करें ।
3. ट्रेवल एजेन्सी के नाम से ट्रेवलिंग ऐजेन्ट का लायसेंस होना अनिवार्य है । उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का पंजीयन व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में होना चाहिए । प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करें ।
4. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का जीवनकाल का मोटरयान कर जमा होना आवश्यक है । जमा रसीद की छाया प्रतियां संलग्न करें ।
5. वाहनों की स्थिति व रख रखाव उत्तम श्रेणी का हो । आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्रीय ध्वज / डेंजर लाईट/ सीट कव्हर आदि प्रदाय करना होगें ।
6. वाहन चालक स्वच्छ सफेद वर्दी में हो । वाहन चालक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति न हो । उसके पास कमर्शियल वाहन चालक का लायसेंस हो ।
7. विभिन्न दरें निर्धारित प्रपत्र में दी जावे ये दरें दिनांक 31-12-2018 तक के लिए रहेगी । आवश्यकता होने पर अवधि बढ़ाई जा सकेगी ।
8. निविदाकर्ता को वाहन मय चालक के उपलब्ध कराना होगा । वाहन पर होने वाले समस्त व्यय पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक को भुगतान करना होगा।
9. वाहन दैनिक किराये पर अनुबंधित होगा । दैनिक किराये की दरें मय वाहन चालक के प्रस्तुत की जावें । जिसका भुगतान शासन से आवंटन प्राप्त होने पर किया जावेगा।
10. वाहन किराये में किसी भी प्रकार की राशि का अग्रिम भुगतान नहीं होगा ।
11. निविदाकार को म0प्र0शासन, परिवहन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
12. निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त अथवा डाक व्दारा प्रेषित निविदाऐं विलम्ब से प्राप्त होती है तो प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

-2-

13. अल्पावधि सूचना पर भी वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा । मांग किए जाने के एक घण्टा (साठ मिनिट) के अंदर वाहन निर्धारित स्थान पर पहुंचाना होगा ।
14. किराए की अवधि में वाहन के संपूर्ण संधारण के व्यय का वहन प्रदाता को करना होगा ।
15. वाहन के वैध दस्तावेज पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट एवं **Comprehensive** बीमा होना अनिवार्य है । सत्यापित छाया प्रतियां संलग्न करें ।
16. वाहन में हुई किसी तकनीकी खराबी होने के कारण यदि आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग करने में बाधा आती है तो वाहन प्रदाता को अन्य वाहन की व्यवस्था करना आवश्यक होगा ।
17. अलग-अलग माडल के वाहन हेतु पृथक-पृथक दर निविदा में अंकित की जावें । (संलग्न प्रपत्र में) प्रस्तुत की जाने वाली दर में भारत शासन एवं म.प्र.शासन के समस्त टेक्स (कर) समाविष्ट कर (जोड़कर) प्रस्तुत की जावे ।
18. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर के उपयोग में न्यूनतम दूरी इत्यादि का कोई बंधन नहीं रहेगा ।
19. निविदा पर निविदाकार के हस्ताक्षर न होने की स्थिति में निविदा अमान्य होगी ।
20. निविदा अवधि में मांग अनुसार उपलब्ध कराये जाने वाले सभी वाहन वर्ष 2015 के पूर्व माडल के नहीं होना चाहिए ।
21. वाहन प्रदाता निविदा प्रस्तुत करते समय सुरक्षा निधि के रूप में राशि रू. 50000/- (अक्षरी रूपये पचास हजार केवल) बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft) के माध्यम से नजारत शाखा,कले.खरगोन में जमा कराई जाना होगी जो कि अनुबंध समाप्ति पर वाहन प्रदाता को वापसी योग्य होगी ।
22. वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं वाहन के उपयोग के फलस्वरूप यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति किसी न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी ।
23. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताएं निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर, जिला खरगोन को होगा ।
24. वाहन को किराए पर प्रदाय करने के आदेश इस कार्यालय से जारी होने के बाद आदेश प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर वाहन प्रदाता को रू. 1000.00 (एक हजार रूपये केवल) मात्र के स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा ।
25. निविदा आमंत्रण सूचना निविदा प्रपत्र एवं वाहन प्रदाता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विभिन्न सत्यापित अभिलेख भी अनुबंध के अंग होगें ।
26. किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद कलेक्टर, जिला खरगोन को संदर्भित किया जा सकेगा तथा उनके द्वारा पारित निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा ।

(अशोक कुमार वर्मा)
कलेक्टर,
जिला-खरगोन,म.प्र.

किराये के वाहनों हेतु प्राप्त निविदाओं का न्यूनतम दर की सूची

क्र.		वाहन के प्रकार						
		इनोवा	टवेरा	इंडिगो	इण्डिका / डिजायर	बोलेरो	जीप	विन्टो/ होण्डासिटी, कोरोला आदि
1	विमानतल /रेलवे स्टेशन से पिकअप							
2	विमानतल /रेलवे स्टेशन पर छोडना							
3	4 घण्टे 40 कि.मी.							
4	8 घण्टे 80 कि.मी.							
5	12 घण्टे 120 कि.मी.							
6	प्रति कि.मी. अतिरिक्त							
7	प्रति घण्टा अतिरिक्त							
8	प्रतिदिन (24 घण्टे)							
9	रात्रि कालीन प्रभार							
10	प्रतिमाह (1000 किलोमीटर तक) पी.ओ.एल. सहित							
11	प्रतिमाह (2500 किमि तक) पी.ओ.एल. सहित							
12	प्रतिमाह पी.ओ.एल.रहित							

नोट :- इसमें भारत शासन एवं राज्य शासन के समस्त टेक्स सम्मिलित है । पृथकं से कोई कर नहीं लगेंगे ।

हस्ताक्षर

पृ0क्रं0/ 12919 /प्रोटोकाल/2017,   खरगोन,दिनांक 21 .11.2017

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख राजस्व आयुक्त,म0प्र0शासन,भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2– प्रमुख सचिव,म0प्र0शासन,पर्यटन विकास निगम,भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

3– अपर संचालक (विज्ञापन) जनसम्पर्क संचालनालय,म0प्र0शासन,बाणगंगा रोड,जनसंपर्क भवन भोपाल की ओर दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

4– प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश शासन,राज्य पर्यटन विकास निगम,मर्यादित भोपाल की ओर प्रेषित।

5– आयुक्त,इन्दौर संभाग, इन्दौर की ओर सचिव,म0प्र0शासन,सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/एफ.ए 3–51/2007/एक(1) दिनांक 22.05.2008 के संदर्भ में अनुमोदन हेतु प्रेषित है ।

6– राज्य शिष्टाचार अधिकारी,मंत्रालय भोपाल की ओर प्रेषित ।

7– कलेक्टर समस्त................................ म.प्र. की ओर प्रचार प्रसार हेतु ।

8– पुलिस अधीक्षक, खरगोन ।

9– क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

10– संबंधित......................

11– प्रभारी अधिकारी,लेखा शाखा/ नजारत शाखा,कले. खरगोन ।

12– अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)खरगोन/ कसरावद/ मण्डलेश्वर/ बड़वाह/ भीकनगांव ।

13– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) खरगोन की ओर जिले की वेबवाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14– कोषालय अधिकारी, जिला खरगोन ।

15– सहायक संचालक, जनसम्पर्क, खरगोन की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

16– तहसीलदार/मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त)................................ की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर, पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करे।

17– मुख्य नगपालिका अधिकारी (समस्त)................... की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर, पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करे।

18– अतिरिक्त क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी, खरगोन ।

19– रक्षित निरीक्षक, पुलिस लाईन, खरगोन की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर, पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करे।

20– फर्म इम्पेक्ट कुबेर हाऊस, 162–कंचन बाग,इन्दौर, म.प्र.452–001 की ओर निविदा प्रस्तुत करने हेतु ।

21– फर्म पवन हंस ट्रेवल्स,इन्दौर (ढ़क्कनवाला कुआं) सूर्या होटल के पीछे,इन्दौर की ओर निविदा प्रस्तुत करने हेतु ।

22– स्टेनो टू कलेक्टर, खरगोन ।

23– जमादार कलेक्ट्रेट, खरगोन नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

<u>संलग्नः– निविदा की शर्ते ।</u>

कलेक्टर,
जिला–खरगोन,म0प्र0

कलेक्टर
जिला-खरगोन (म०प्र०)

Desktop\protocol\ Vehical-Vahan 09.11.2017